।। ओ३म् ।।

आर्य मार्तण्ड

आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान का मुखपत्र – पाक्षिक

वैदिक संस्कृति संरक्षण एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध–आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, राजा पार्क, जयपुर

वर्ष – 95 अंक 12 पृष्ठ 16 मूल्य ₹ 5/- सितम्बर द्वितीय 21 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2020

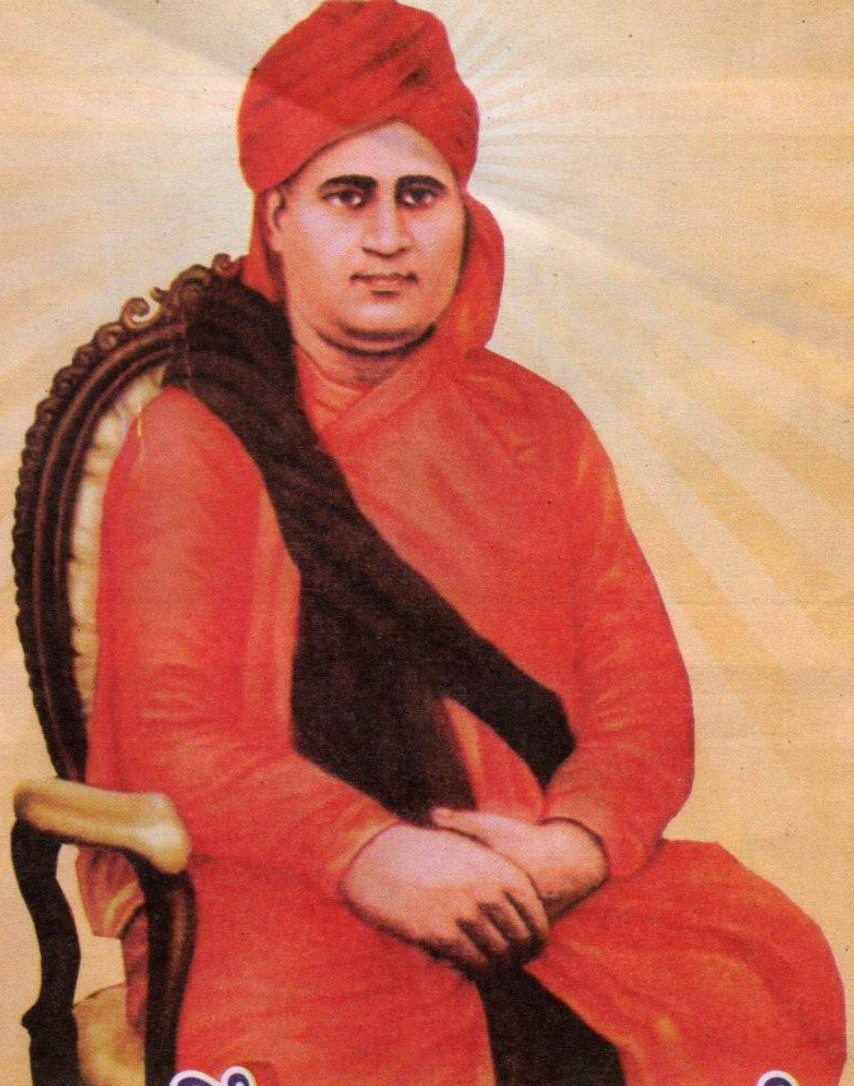

महर्षि दयानन्द सरस्वती

प्रतिनिधि गतिविधि

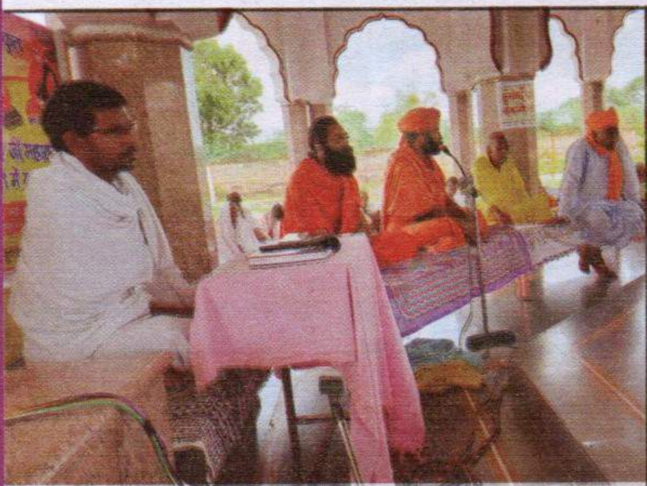

वैदिक गुरुकुल मलारना चौड़ (सवाई माधोपुर) में स्वामी आत्मानन्द जी महाराज की पावन स्मृति में महायज्ञ कार्यक्रम

आर्यवीर दल जयपुर द्वारा बैठक आयोजित

आर्य समाज हिण्डोन सिटी में श्रावणी पर्व कार्यक्रम

कोरोना काल में जन सेवा करते आर्यजन

आर्य समाज हिरणमगरी, उदयपुर द्वारा जन सहायतार्थ दान

आर्य समाज भीलवाड़ा द्वारा निःशुल्क आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण

ओ३म्

आर्यमार्तण्ड

आर्य प्रतिनिधि सभा का मुखपत्र

पंचमी शुल्कपक्ष आश्विन, सम्वत् 2077, कलि सम्वत् 5121, दयानन्दाब्द 196, सृष्टि सम्वत् 01,96,08,53,121

आर. एन. आई नं.10471/60

संरक्षक

1. महाशय धर्मपाल जी (एम. डी. एच.)
2. श्री रमेश गुप्ता (आर्य), अमेरिका
3. श्री दीनदयाल जी गुप्त (डॉलर बनियान)

प्रेरणा स्रोत

1. श्री स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती
2. श्री विजय सिंह भाटी
3. श्री जगदीश प्रसाद आर्य
4. श्री मदनमोहन आर्य

प्रधान संपादक

श्री देवेन्द्र कुमार शास्त्री

प्रबंन्ध सम्पादक

1. आचार्य रविशंकर आर्य
2. डॉ. सन्दीपन आर्य
3. श्री अशोक शर्मा
4. श्री ओमप्रकाश विद्यावाचस्पति

आर्य मार्तण्ड वार्षिक शुल्क –	₹ 100/-
त्रैमासिक प्रकाशन सहयोगी –	₹ 3100/-
षाण्मासिक प्रकाशन सहयोगी –	₹ 5100/-
वार्षिक प्रकाशन सहयोगी –	₹ 11000/-

प्रकाशक

आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान हनुमान ढाबे के पास, राजापार्क, जयपुर –302004

0141-2621879, 9352547258

e-mail : aryamartand@gmail.com

e-mail : arya.sabha1896@gmail.com

अनुक्रम

· संशोधित विधान

· आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, राजपार्क, जयपुर–302004

·

यूको बैंक

खाता धारक का नाम :- आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, जयपुर

खाता संख्या :- 18830100010430

IFSC Code :- UCBA0001883

आर्य मार्तण्ड पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों में व्यक्त विचार सम्बन्धित लेखक के हैं। सम्पादक अथवा प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। किसी भी विवाद के प्रतिवाद हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर ही होगा। आपत्ति की अवधि प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर ही मानी जायेगी। स्वत्वाधिकारी, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर की ओर से प्रकाशित, मुद्रक श्री देवेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा वी. के. प्रिन्टर्स सुदर्शनपुरा जयपुर से मुद्रित ।

आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के विधान की संशोधित प्रति पूर्व में आर्य मार्तंड के अंक 06 दिनांक 21/12/2020 में प्रकाशित कर राजस्थान के सभी आर्यजनों से इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे गये थे। सभी सम्मानित आर्यजनों की ओर से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए विधान संशोधन समिति द्वारा संशोधित विधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया है, जो पंजीयन कार्यालय को संशोधन हेतु प्रेषित किया जायेगा। संशोधित विधान का अंतिम प्रारूप सभी की सूचनार्थ प्रकाशित है । सभी आर्यजनों से एक बार पुनः आग्रह है कि यदि इस विधान में अब भी कोई महत्वपूर्ण सुधार हेतु सुझाव है तो दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक सभा कार्यालय, राजापार्क, जयपुर के पते पर लिखित रूप में अवश्य प्रेषित करें, तत्पश्चात् प्राप्त सुझावों पर कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

1. आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के नियम :–

नाम – राजस्थान प्रदेश के सभी आर्य समाजों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित प्रदेश की इस सर्वोच्च संस्था का नाम आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान है, जिसमें आर्य प्रतिनिधि सभा अजमेर, राजपुताना एवं मालवा समाहित है। जिसका आगे 'सभा' शब्द से उल्लेख किया गया है।

कार्यालय :– इस सभा का मुख्य कार्यालय, आर्य समाज आदर्श नगर राजापार्क जयपुर सभा भवन में है।

उपकार्यालय :– अंतरंग सभा आवश्यकतानुसार सभा के अन्य क्षेत्रों में उपकार्यालय स्थापित कर सकती है एवं उन्हें स्थगित कर सकती है।

2.कार्यक्षेत्र :– इस सभा का कार्य तथा अधिकार क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य एवं जहाँ भी सभा की अचल सम्पत्ति है, वहाँ तक होगा तथा इसका न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा।

3. परिभाषाएँ :–

1. सभा शब्द का अर्थ इस विधान की दृष्टि में राजस्थान राज्य के समस्त आर्य समाजों के सर्वोच्च संगठन आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान से है।
2. राजस्थान का अर्थ राजस्थान राज्य के समस्त भौगोलिक क्षेत्र एवं 1896 की सभा की स्थिति जिसमें राजपुताना एवं मालवा भी सम्मिलित होगा ।
3. विधान का अर्थ सभा के प्रस्तुत विवरण से है जिसमें सभा का नाम, पंजीकृत संस्था कार्यालय, नियम–उपनियम और उद्देश्य दर्शित हैं एवं जिनकी पूर्ति हेतु सभा सक्रिय है।
4. नियम–उपनियम साधारण सभा द्वारा राजस्थान सोसाइटी एक्ट एवं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अनुरूप समय समय पर पारित उन नियमों और उपनियमों से है, जिनके अनुसार सभा के सदस्य निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इनकी पालना करेंगे।
5. साधारण सभा का अभिप्राय सभा से स्वीकृत एवं सम्बद्ध आर्य समाजों के प्रतिनिधि सदस्यों से गठित उच्चतर संगठन से है।
6. अंतरंग सभा का अभिप्राय एक ऐसी शक्ति सम्पन्न समिति जिसे सभा के समस्त कार्य संचालन और उसके लिये आवश्यक सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा, जिसका चुनाव साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
7. पदाधिकारी अन्तरंग सभा के निर्वाचित पदाधिकारी सभा के कार्य संचालन के लिए अधिकृत होंगे।
8. वयस्क से आशय उस व्यक्ति से है जो किसी भी सम्बद्ध आर्य समाज का स्वीकृत सदस्य बनने के समय 18 वर्ष या इससे ऊपर की आयु धारण कर चुका हो।
9. प्रतिनिधि का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने सभा संविधान के अन्तर्गत अपने आर्य समाज का सदस्य बनने से पहले और सभा में प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के समय सभी मान्य अर्हताएँ पूर्ण कर ली हो और अन्तरंग सभा द्वारा उसका नाम सभासद के रूप में स्वीकृत हो गया हो।

10. वित्तीय वर्ष वह समयावधि जो राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष है। वही सभा का वित्तीय वर्ष होगा ।

11. आर्य समाज जिसमें कम से कम 11 आर्यजन सदस्यों से संगठित आर्य समाज के दस नियमों के पालनकर्ताओं से है।

12. आर्य सभासद् वही माने जायेंगे जिनका नाम सम्बन्धित आर्य समाज की सदस्यता पंजिका (जो सभा द्वारा स्वीकृत की गई हो) में सभा द्वारा स्वीकृत की गई तिथि से पूर्व दो वर्ष भर अंकित रहा हो, उन्होंने आर्य समाज एवं सभा के नियमानुसार उस पूर्ण दो वर्ष का सदस्यता शुल्क (अपनी आय का शतांश) या सभा की अन्तरंग सभा द्वारा निर्धारित अंशदान आर्य समाज को दिया हो तथा साप्ताहिक अधिवेशनों में न्यूनतम उपस्थिति 25 प्रतिशत हो। आर्य समाज के निर्वाचित / मनोनीत प्रतिनिधि सदस्य की आयु 21 वर्ष या उससे ऊपर हो तथा वह दिवालिया न हो, स्वस्थ मानसिक स्थिति का हो, किसी अनैतिक आचरण के कारण दण्डित न हो, जिसका आचरण आर्य सिद्धान्तों के अनुकूल एवं अनुशासित हो, आर्य समाज और सभा के प्रति अनुशासनहीनता न की हो।

13. दशांश से अभिप्राय प्रत्येक आर्य समाज अपनी असल आय का 10 प्रतिशत राशि आर्य प्रतिनिधि सभा को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में देय राशि से है ।

14. निश्चित् कोटि वह निश्चित् राशि है जो सभा की अन्तरंग सभा द्वारा निर्धारित राशि प्रत्येक आर्य समाज को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में सभा को देय होगी।

4. उद्देश्य – इस सभा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

4.1 आध्यात्मिक उन्नति के लिये वेदों तथा अन्य आर्ष ग्रंथों की शिक्षा के निमित्त गुरुकुल शिक्षणालय तथा आश्रम स्थापित करना एवं कराना।

4.2 वैदिक धर्म तथा ज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाने के लिए प्रचारक, उपदेशक एवं शिक्षक तैयार करना तथा कराना एतदर्थ समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं कराना।

4.3 आर्ष चिंतन एवं वैदिक वाङ्मय वैदिक धर्म के अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए पुस्तकालय स्थापित करना एवं कराना तथा वैदिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षण संस्थाएँ स्थापित कर संचालित करना एवं कराना।

4.4 वैदिक धर्म एवं संस्कृति संबंधी महर्षि दयानंद के दृष्टिकोण को जनसाधारण में प्रचारित प्रसारित करने के लिए पुस्तकों, पुस्तिकाओं तथा लेखों (मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक) अथवा अन्य पत्रिकाओं आदि का सम्पादन प्रकाशन एवं मुद्रण करना कराना तथा ऐसे साहित्य का निःशुल्क वितरण करना।

4.5 विश्व में वैदिक धर्म संबंधी प्रचार करना एवं कराना।

4.6 वैदिक धर्म एवं संस्कृति के प्रसार, विस्तार एवं सुरक्षा के लिए यथोचित् उपाय करना एवं कराना।

4.8 राजस्थान में आर्य समाजों के संगठन को सुदृढ़ बनाकर वैदिक धर्म के अधिकतम प्रचार–प्रसार की योजना बनाना ।

4.9 अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नई आर्य समाजों की स्थापना करना एवं उन्हें मान्यता देना तथा स्थापित आर्य समाजों को संगठित एवं सुव्यवस्थित रखना आर्य समाजों तथा आर्य संस्थाओं का अधीक्षण, रक्षण, निरीक्षण तथा नियत्रंण करना और उनकी उन्नति का समुचित प्रबन्ध करना।

4.10 वैदिक धर्म के प्रचार तथा आर्य समाज के संगठन की उन्नति के लिये किसी चल अचल सम्पत्ति, ट्रस्ट एवं इच्छा पत्रों (वसीयत) आदि को स्वीकार करना, उनकी सुरक्षा का स्वयं प्रबन्ध कर तत्सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति करना। वैदिक धर्म एवं संस्कृति के ग्रन्थों, पुस्तकों, पुस्तिकाओं तथा लेखों (मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक) अथवा अन्य पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं मुद्रण करना।

4.11 गोवंश रक्षार्थ गोशालाएँ स्थापित कर उन्हें संचालित एवं संरक्षित करना एवं कराना।

4.12 रोगियों की सेवा के लिए यथाशक्ति निःशुल्क चिकित्सालय तथा औषधालय एवं रसायनशाला निर्माण केन्द्र आदि स्थापित उन्हें संरक्षित करना ।

4.13 सभा के उद्देश्यों की पूर्ति, प्राप्ति हेतु सरकारी योजनाओं से अनुदान प्राप्त करना एवं उसका संबंधित उद्देश्यों में यथोचित व्यय करना एवं आय के समस्त स्रोतों को संरक्षित करना।

4.14 रोगियों की सेवा एवं अन्य गोआदि प्राणियों की सेवार्थ एम्बुलेंस (रोगी वाहन) आदि वाहन खरीदना एवं उनका प्रबन्धन करना।

4.15 युवक एवं युवतियों के चरित्र निर्माण एवं उनमें वैदिक संस्कार देने हेतु आर्य कुमार सभा तथा आर्यवीर दल (दोनो ईकाई युवक एवं युवती) स्थापित करना एवं संचालन आदि करना।

4.16 वैदिक धर्म, संस्कृत, मातृ भाषा, मातृभूमि एवं भारतीय संस्कृति सभ्यता का संरक्षण करना।

4.17 अन्य मतावलम्बियों को जो स्वेच्छापूर्वक वैदिक धर्म को स्वीकार करना चाहते हों, उन्हें वैदिक धर्म से शिक्षित एवं दीक्षित करना।

4.18 महिलाओं में वैदिक धर्म प्रचार करना तथा उनकी सामाजिक दशा सुधारने के निमित्त महिला आर्य समाजों की स्थापना करना एवं करवाना तथा उनके सर्वांगीण विकास के प्रति सजग रहना।

4.19 अनाथ, दीन, विधवा, पीड़ित, शोषित, दलित एवं वनवासियों की उन्नति एवं सुधार के लिए यथोचित् उपाय करना तथा करवाना।

4.20 समाज सेवा, स्वास्थ्य, विकास, नशा उन्मूलन, दलितोद्धार, महिला तथा बाल कल्याण जैसे विधिसम्मत सर्वहितकारी अन्य कार्यों को करना, जिनसे आर्य समाज के नियमों एवं उद्दश्यों की पूर्ति की जा सके, आयुर्वेद आदि उपवेदों के विकास एवं शोध संबंधी संस्थाओं की स्थापना करना एवं संचालन संरक्षण करना।

4.21 कृषि एवं पर्यावरण की रक्षा, विकास, अनुसंधान हेतु वैदिक परम्पराओं के अनुसार सिद्धान्तों का प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन करना।

4.22 महर्षि पतंजलि निर्दिष्ट अष्टांग योग के प्रचार–प्रसार हेतु योग की कक्षा, योग केन्द्रों की स्थापना एवं संरक्षण करना तथा करवाना।

4.23 अनाथाश्रम एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना एवं उनका संरक्षण एवं संचालन करना।

4.24 उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान प्राप्त करना, सम्पत्ति खरीदना एवं बेचना, सम्पत्ति लीज पर देना लेना, दुकानों का निर्माण करके किराये पर देना, धरोहर राशि प्राप्त करना, अपने अधीन संस्थाओं से आवश्यकतानुसार धन संग्रहण करना एवं किसी संस्था की आर्थिक सहायता करना तथा अन्य उपयुक्त साधनों से सभा की आय में वृद्धि करना आदि अन्तरंग सभा के माध्यम से सभा इन समस्त गतिविधियों को सम्पन्न करेगी।

4.25 सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के पूर्ण अनुशासन एवं नियमों के तहत कार्य करना तथा इस शिरोमणि सभा के प्रत्येक आदेश / निर्देश / सुझाव / पारित संकल्पों को लागू करना एवं करवाना।

4.26 सभा के उपर्युक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त आर्यसमाज के 10 नियमों का पालन करना एवं करवाना तथा तदनुसार कार्य करना।

5. सभा की सदस्यता :–

5.1 सभा में मान्यता प्राप्त प्रत्येक आर्य समाज को अपने प्रथम 11 आर्य सभासदों पर एक तथा उसके पश्चात् प्रत्येक 20 आर्य सभासदों पर एक के नियम से प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। परन्तु एक आर्य समाज से प्रतिनिधियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। आर्य समाजों द्वारा चुनकर भेजे गये प्रतिनिधि ही इस सभा के सदस्य होंगे जो सभा की आगामी निर्वाचन प्रक्रिया तक मान्य होंगे।

5.2 इस सभा का गठन आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के द्वारा पंजीकृत / स्वीकृत आर्य समाजों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होगा। ऐसे प्रतिनिधियों की सभा ही इस सभा की साधारण सभा कहलाएगी और इस सभा की संपूर्ण शक्तियाँ उक्त साधारण सभा में ही निहित होगी।

5.3 सभा में नये आर्य समाजों की सम्बद्धता के लिए एक निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरकर संबद्धता / मान्यता हेतु कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करवाना होगा। वार्षिक विवरण मानचित्र के साथ अद्यतन आर्य समाज सदस्यों की सूची तथा दो वर्ष का आय व्यय विवरण एवं अन्तरंग सभा एवं साधारण सभा की कार्यवाहियों की छायाप्रति जिसमें संबद्धता का निर्णय लिया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस

प्रार्थना पत्र पर अन्तरंग सभा प्राप्ति तिथि से छः माह में निर्णय करेगी। सभा में प्रविष्टि के पश्चात् उक्त आर्य समाज को सभा में प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा।

5.4 प्रत्येक आर्य समाज (जिसे सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है) प्रतिवर्ष निर्धारित प्रपत्र में सभा के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक विवरण भरकर भेजेगा।

5.5 वही व्यक्ति प्रतिनिधि बन सकता है जो आर्य सभासद की पात्रता रखता हो। (परिभाषा बिन्दु 312 पर)

6. पदावधि :–

6.1. त्याग पत्र देने एवं उसके स्वीकृत होने से।

6.2. मृत्यु होने से।

6.3. विक्षिप्त होने एवं दिवालिया घोषित होने पर ।

6.4. आर्य सभासद या आर्य समाज का सदस्य नहीं रह जाने से ।

6.5. किसी ऐसे अपराध के दण्ड पाने से जिसमें कदाचार एवं भ्रष्टता हुई हो और जिसके कारण अंतरंग सभा की सम्मति में वह सदस्य रहने का अधिकारी न रह गया हो।

6.6. ऐसी समाज, जिसका वह प्रतिनिधि हो को स्थगित किये जाने या पृथक किये जाने या संस्था के क्रियाशील न रह जाने से वह प्रतिनिधि नहीं रह जायेगा।

6.7. आर्य समाज के वैदिक सिद्धान्त के विपरीत कार्यों में संलिप्त पाये जाने पर।

6.8. ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त समझा जायेगा जिसे अंतरंग सभा ने उक्त पद से मुक्त करने का दण्ड दिया हो। ऐसे व्यक्ति को अपनी स्थिति स्पष्ट करने एवं अपील करने का अवसर साधारण सभा को होगा।

7. साधारण सभा का गठन :–संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त सदस्य सर्वसम्मत / बहुमत से साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

8. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

1. प्रबन्धकारिणी (अन्तरंग सभा) का चुनाव करना।
2. सभा तथा उसके अन्तर्गत चल रही सभी संस्थाओं का आगामी वार्षिक बजट पारित करना।
3. अन्तरंग सभा द्वारा लिए गये निर्णयों एवं किए गए कार्यों की समीक्षा एवं पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2 / 3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।
5. अंतरग सभा द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना।
6. न्याय सभा तथा सार्वदेशिक सभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना।

9. साधारण सभा का अधिवेशन –

. साधारण सभा के अधिवेशन दो प्रकार के होंगे :–1. साधारण 2. नैमित्तिक

1. साधारण सभा का वर्ष में एक उपवेशन अनिवार्य होगा, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा (नैमित्तिक अधिवेशन) अन्तरंग सभा की अनुमति से मंत्री द्वारा कभी भी बुलाया जा सकेगा।
2. बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं अत्यावश्यक बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी।
3. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी परन्तु विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 1 / 3 सदस्य के लिखित आवेदन करने पर प्रधान / मंत्री द्वारा 1 माह में बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा।
5. साधारण सभा का कोरम उसकी कुल उपस्थित सदस्यों के / बहुमत सदस्य संख्या का 1 / 3 होगा। साधारण सभा का निर्णय कुल उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत से तथा नैमित्तिक सभा का निर्णय दो तिहाई बहुमत से होगा।

10. कार्यकारिणी का गठन :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी (अन्तरंग सभा) का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी निम्न प्रकार से होंगे –

प्रधान : 1

उपप्रधान	:	1
सम्भागीय उपप्रधान	:	7 (प्रत्येक संभाग से एक)
मंत्री	:	1
उप मंत्री	:	1
कोषाध्यक्ष	:	1
पुस्तकालयाध्यक्ष	:	1
वेद प्रचार अधिष्ठाता	:	1
सदस्य	:	15

इस प्रकार प्रबन्धकार्यकारिणी में 14 पदाधिकारी एवं 15 सदस्य, कुल 29 सदस्य होंगे।

अधिष्ठाता आर्यवीर दल राजस्थान एवं आय व्यय लेखा निरीक्षक दो पदों का प्रबन्धकार्यकारिणी (अन्तरंग सभा) द्वारा मनोनयन किया जायेगा।

11. कार्यकारिणी (अन्तरंग सभा) का निर्वाचन :–

1. संस्था की कार्यकारिणी का निर्वाचन साधारण सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए होगा। अन्तरंग सभा चाहे तो कार्यकाल एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकेगी।
2. अन्तरंग सभा आगामी निर्वाचन साधारण अधिवेशन की तिथि 3 माह पूर्व निर्धारित करेगी, उसी सभा में निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगी। जिसकी सूचना दो माह पूर्व सभी आर्य समाजों को देनी होगी। अधिवेशन से एक माह पूर्व तक सभा कार्यालय में आर्य समाजों के वार्षिक मानचित्र लिये जा सकेंगे।
3. वार्षिक चित्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् 1 सप्ताह में जाँच समिति द्वारा चित्रों की जाँच पूरी कर ली जावेगी। इस हेतु 3 सदस्यीय जाँच समिति का गठन अंतरंग सभा द्वारा उसी बैठक में कर दिया जावेगा, जिसमें निर्वाचन अधिवेशन की तिथि निश्चित् की जावेगी।
4. जिस आर्य समाज के वार्षिक मानचित्र की स्वीकृति में आपत्ति होगी उसे उस संबंध में सुनवाई का अवसर देकर जांच समिति द्वारा स्वीकृत प्रतिनिधि सूची अधिवेशन की तिथि से 5 दिन पूर्व प्रकाशित कर दी जावेगी। इसकी एक प्रति निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन हेतु दी जावेगी।
5. प्रतिनिधि स्वीकार किए जाने के विषय में अंतिम अधिकार अंतरंग सभा को होगा जो जाँच समिति द्वारा भेजे गए मुद्दे पर अधिवेशन से पूर्व निर्णय लेगी।
6. अंतरंग सदस्यों के निर्वाचन के समय यह ध्यान रखा जावेगा कि संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उसमें है।

12. प्रबन्ध कार्यकारिणी (अन्तरंग सभा) के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. नये आर्य समाजों को मान्यता प्रदान करना और उन पर अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक नियंत्रण एवं अधीक्षण करना।
2. सभा की चल–अचल सम्पत्ति का संरक्षण एवं सम्पूर्ण प्रकार के सुरक्षात्मक कार्य।
3. सभा अपनी निधियों का क्रय–विक्रय, दुकानों का निर्माण कर किराये पर देना, धरोहर राशि लेना, दान लेना आदि की अधिकारिणी होगी।
4. सभा के आय–व्यय की स्वीकृति।
5. मानदेय प्राप्त कर्मचारियों, उपदेशकों, प्रचारकों आदि की नियुक्ति तथा उन्हें पृथक् करना तथा वृद्धि करना परन्तु यह सभा किसी भी कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति नहीं दे सकेगी।
6. आर्य समाजों एवं उनकी संस्थाओं की स्थिति पर विचार करना।
7. प्रदेश में प्रचार आदि की समुचित व्यवस्था करना।
8. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना तथा करवाना।
9. अन्तरंग सभा में किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य का पद रिक्त होने पर उसकी पूर्ति करना।
10. सभा के वार्षिक एवं नैमित्तिक अधिवेशनों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विचार।
11. आर्य समाजों की सदस्यता, संपत्ति तथा आय व्यय का निरीक्षण करने का अधिकार इस सभा को होगा।

12. यह सभा समय–समय पर संगठन तथा कार्यक्रम आदि के विषय में आर्य समाजों को निर्देश दे सकेगी जिनकी अनुपालना का दायित्व आर्य समाजों का होगा।
13. किसी आर्य समाज द्वारा विधान की व्यवस्था की समुचित पालना न किए जाने की अवस्था में इस सभा की अंतरंग सभा को समुचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
14. इस सभा को अधिकार होगा कि किसी आर्य समाज द्वारा अपने नियमों–उपनियमों अथवा इस सभा के किसी आदेश की अवहेलना किये जाने अथवा उसके द्वारा इस सभा के निर्देश और अनुशासन या आर्य समाज के उद्देश्य के विपरीत आचरण किये जाने की स्थिति में उसकी अन्तरंग सभा को भंग करके निर्धारित अवधि के लिये तदर्थ समिति गठित कर आर्य समाज की व्यवस्था उसे संभलवा देगी। यह तदर्थ व्यवस्था अधिक से अधिक छः माह से 1 वर्ष तक रह सकेगी। इस अवधि में सभा द्वारा उस समाज के निर्वाचन कराया जाना अनिवार्य होगा।
15. निर्वाचन अधिवेशन आदि के कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार उचित परिवर्तन करने का अंतरंग सभा को अधिकार होगा।
16. अन्तरंग सभा दो सदस्यों को मनोनीत कर सकेगी, जिसमें एक आर्यवीर दल अधिष्ठाता तथा द्वितीय आय–व्यय निरीक्षक होगा। आवश्यकतानुसार आय–व्यय निरीक्षक एक से अधिक हो सकेंगे।
17. किसी विशेष प्रयोजन के लिए अपने सदस्यों अथवा अन्य योग्य व्यक्तियों की समिति, उपसमिति का गठन अंतरंग सभा कर सकेगी।

13. कार्यकारिणी की बैंठकें :–

1. अंतरंग सभा का अधिवेशन साधारणतया 3 मास में तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रधान की अनुमति होने पर बैठकें प्रधान / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। अन्तरंग सभा के उपवेशन की सूचना सात (7) दिन पूर्व एवं विशेषरूप से आवश्यक होने पर तीन (3) दिन पूर्व देनी होगी। उपवेशन की सूचना परम्परागत माध्यम अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भी दी जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः उसी दिन निर्धारित समय से एक घण्टे पश्चात उसी स्थान पर होगी। ऐसी बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के दो अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी अन्तरंग सभा में कराना आवश्यक होगा।

14. प्रबन्धकारिणी पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

प्रधान :–

1. प्रधान साधारण सभा, अंतरंग सभा एवं सभा द्वारा निर्मित प्रत्येक समिति के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। प्रधान की अनुपस्थिति में उपप्रधान सभाओं की अध्यक्षता करेगा।
2. वह सभा के कार्यों पर दृष्टि रखेगा और सभा के हित का संरक्षण तथा उसकी अभिवृद्धि करेगा एवं सभा की आय वृद्धि के लिए विशेष उद्योग एवं उपाय करेगा एवं करायेगा।
3. आवश्यकता पड़ने पर प्रधान को यह अधिकार होगा कि वह सभा के हित के अंतर्गत सभा में अपने अधिकार का उपयोग करके विधि सम्मत आदेश जारी कर सकेगा किंतु 15 दिन की अवधि में अंतरंग सभा से उसकी पुष्टि करानी होगी। पुष्टि के अभाव में आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
4. सभा को व्यवस्थित ढंग से चलाने की दृष्टि से प्रधान पदाधिकारियों, अंतरंग सदस्यों तथा समिति, उपसमितियों को कार्य वितरित कर सकेगा।
5. सभा के समस्त कर्मचारियों के सभा सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण, नियन्त्रण, अनुशासनहीनता एवं सभा के हितों और उद्देश्यों के विरुद्ध आचरण करने पर अन्तरंग के किसी सदस्य या पदाधिकारी द्वारा शिकायत पत्र देने पर उनका निलम्बन अथवा अपदस्थ कर आगामी अन्तरंग सभा की बैठक में सूचना देना और उसको

सम्पुष्ट कराना।

6. सभा के अधीन काम करने वाली संस्थाओं और उनके समस्त विभागों के कार्यों को देखना, उनको अनुशासित एवं नियन्त्रित करना।
7. सभा से सम्बद्ध आर्य समाज अथवा किसी भी आर्य सामाजिक सांगठनिक संस्था की ओर से सभा की किसी आज्ञा / व्यवस्था का उल्लंघन अथवा विरोध अथवा आर्य समाज के लिए हानिकारक हो, उक्त आर्य समाज संस्था की संचालक समिति / कार्यकारिणी को नियत समय के लिए स्थगित कर देना तथा आर्य समाज और उससे सम्बद्ध सांगठनिक संस्थाओं के संचालन के लिए तदर्थ प्रबन्ध समिति गठित करने हेतु अन्तरंग की सहमति पर मंत्री को निर्देशित करना।
8. किसी विशेष अवस्था में सभा के हितों की रक्षा करने के लिए एक समय में 50,000 रुपये तक व्यय कर सकेगा।
9. सभा का प्रधान समय-समय पर पारित संकल्पों एवं विधान नियमावली के अन्तर्गत कार्य करेगा एवं करवायेगा।

उपप्रधान :-

1. प्रधान के कार्यों में सहयोग प्रदान करेगा।
2. उपप्रधान प्रधान की अनुपस्थिति में समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
3. प्रधान की अनुपस्थिति में उपप्रधान अन्तरंग सभा द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग कर सकेगा।

सम्भागीय उपप्रधान :-

1. सम्भागीय उपप्रधान अपने-अपने संभाग में स्थित आर्य समाजों का निरीक्षण कर सकेंगे तथा उसका प्रतिवेदन सभा कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
2. उपप्रधान अपने संभाग में स्थित आर्य समाजों को संगठित करने का कार्य करेंगे तथा इस सम्बन्ध में सभा के निर्णयों एवं आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकेंगे।
3. अपने संभाग के आर्य समाजों का नियमानुसार वार्षिक मानचित्र निधारित समय पर सभा कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित् करेंगे।
4. अपने संभाग के आर्य समाजों में वार्षिक उत्सव आयोजित करवाना एवं सम्मलित होना।
5. संभाग में नये आर्य समाजों की स्थापना का उद्यम करना एवं उनकी सभा द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार मान्यता के लिये अनुशंसा करना।

मंत्री :-

1. कार्यालय संचालन संबंधी समस्त कार्यों के लिए मंत्री उत्तरदायी होगा वह समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करेगा और कार्यालय में समस्त आलेख, मूल्यवान बंधक परिपत्र तथा अन्य अधिकारपत्र आदि को सुरक्षित रखेगा एवं आगामी कार्यकारिणी को समस्त रिकार्ड सम्भलाने के लिए उत्तरदायी होगा। वह अंतरंग सभा एवं सभा प्रधान के परामर्श से सभा की नीति, कार्यक्रम, नियमों एवं आदेशों का क्रियान्वयन करेगा।
2. वह बैठकों की कार्यवाही नियत पुस्तिका में लिखेगा तथा पारित निर्णयों का संबंधित से पत्राचार करेगा।
3. वह सभा के कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण करेगा और उनके कार्यों पर दृष्टि रखेगा।
4. वह आर्य समाजों और उनके द्वारा संचालित संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगा।
5. वह सभा के हित में कानूनी मामलों में न्यायालय एवं कार्यालयों में वाद प्रस्तुत करेगा उनकी पैरवी करेगा एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।
6. सभा के आय-व्यय संबंधी पत्रों की जाँच करेगा तथा नियमानुसार उन्हें स्वीकार करेगा तथा सभा की समस्त चल-अचल सम्पत्ति एवं उपलब्ध उपकरणों की सुरक्षा करेगा एवं करायेगा।
7. सभा के समस्त मानदेय प्राप्त कर्मचारियों, उपदेशकों, प्रचारकों आदि के कार्यों पर नियन्त्रण करना एवं व्यवस्था करना, अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक प्रक्रिया के लिये प्रधान एवं अन्तरंग सभा को संस्तुत करना।
8. समाजों के संगठन, व्यवस्था और सभा की सम्यक् उन्नति एवं सुधार का प्रबंध करना। सभा एवं आर्य समाजों

द्वारा संचालित संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा आवश्यकतानुसार उनका विवरण अंतरंग सभा आदि में उपस्थित करना।

9. वार्षिक कार्य विवरण (रिपोर्ट) तैयार कर अन्तरंग और साधारण सभा में प्रस्तुत करना तथा उन्हें संपुष्ट कराना एवं निर्णित प्रस्तावों तथा प्रधान की आज्ञाओं का पालना करना एवं करवाना।
10. सभा की आय वृद्धि के लिए विशेष उद्योग करना तथा करवाना।
11. सभा के विभिन्न अधिवेशनों को नियमानुसार यथा समय बुलावेगा एवं उनकी समुचित व्यवस्था करेगा तथा करावेगा।
12. समाजों से वार्षिक वृत्तान्त प्राप्त करेगा।
13. सभा के मुखपत्र आर्य मार्तण्ड का पदेन सम्पादन एवं तत्संबंधी दायित्वों का निर्वहन करेगा।
14. सभा के हितों की रक्षार्थ एक समय में 25000 रूपये तक व्यय कर सकेगा।
15. किसी भी आपात स्थिति में किसी आर्य समाज एवं संबंधित संस्था द्वारा विधान एवं आर्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल कार्य, अनियमित गतिविधियाँ करने या आर्थिक अनियमितता की जा रही हो, सभा के बार–बार निर्देशों एवं आदेशों की घोर अवज्ञा की जा रही हो तो मंत्री अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकारी होगा तथा उसकी संपुष्टि अंतरंग सभा में करानी होगी।

उप मंत्री :–

1. वह मंत्री के कार्य संचालन में सहायता करेगा।
2. मंत्री की अनुपस्थिति में कार्यालय सम्बन्धी कार्य संचालन करेगा।
3. मंत्री की अनुपस्थिति में दैनिक तथा सामान्य अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करेगा।

कोषाध्यक्ष :–

1. कोषाध्यक्ष सभा संबंधी समस्त धन प्राप्त करेगा और उसकी प्राप्ति रसीद देगा। वह सभा के समस्त धन का संग्रह करेगा और उनको यथा नियम सुरक्षित रखेगा। वह अंतरंग सभा के निर्देशानुसार बैंक में रकम जमा एवं निकासी कराएगा तथा नियमानुसार बिलों का भुगतान करेगा एवं प्राप्त नकद धन राशि को बैंक के अगले कार्यदिवस को बैंक में जमा करवाना सुनिश्चित् करेगा।
2. वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।
3. वह अंतरंग सभा, प्रधान तथा मंत्री की आज्ञानुसार ही धन का भुगतान करेगा।
4. वह समस्त आय–व्यय का नियमानुसार विवरण रखेगा और ऑडिट कराकर स्वीकृति के लिए सभा में प्रस्तुत करेगा।
5. सभा के स्वीकृत अनुमानित लेखा के अनुसार धन देना।
6. समस्त आय–व्यय विवरण तीन मास में एक बार अंतरंग सभा में प्रस्तुत करना तथा बजट की स्थिति प्रस्तुत करना।
7. सभा की चल–अचल सम्पत्ति की वृद्धि, सुरक्षा तथा आय की वृद्धि के विशेष उपाय करना।
8. सभा के हितों की रक्षार्थ एक समय में 10,000 रुपये व्यय कर सकेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष :–

1. पुस्तकालयाध्यक्ष सभा के केंद्रीय पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन करेगा तथा पुस्तकों, हस्तलिपियों एवं समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को सुरक्षित रखेगा।
2. वह सभी प्राप्त पुस्तकों की सूची एवं पुस्तक विभाग तथा पुस्तकालय संबंधी समस्त आय–व्यय का लेखा रखेगा।
3. अन्तरंग सभा की स्वीकृति से पुस्तकों को प्रकाशित कराना, पुस्तकालयार्थ विक्रयार्थ पुस्तकें क्रय करना तथा विक्रय करना। आर्य समाज के वार्षिकोत्सव, सार्वजनिक मेलों आदि में पुस्तकों के विक्रय एवं निशुल्क प्रचार के लिए पुस्तक विक्रय, प्रचार केन्द्र लगवाने की व्यवस्था करना तथा करवाना।
4. आर्य मार्तण्ड के संपादन में सहयोग करना।
5. पुस्तक मुद्रण, प्रचार सामग्री तथा सोशल मीड़िया का संचालन करना तथा करवाना।

वेदप्रचार अधिष्ठाता :–

1. वेद प्रचार समितियों का गठन करेगा जिनका अनुमोदन अंतरंग सभा में करवाना होगा।
2. समस्त आर्य समाजों में वेद प्रचार कार्य को गति, उसकी समीक्षा, उसका प्रबन्ध आदि करेगा एवं करवायेगा।
3. वेद एवं वेदानुकूल सिद्धान्तों, संस्कृति–सभ्यता एवं आर्य समाज के प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करना एवं करवाना।
4. सभा में नियुक्त उपदेशकों, भजन मण्डलियों के उपदेश एवं प्रचार आदि के कार्यक्रम बनाना तथा उनके कार्यान्वयन में सहयोग करना, उनका निरीक्षण करना।
5. वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार–प्रसार में नियुक्त उपदेशकों एवं भजनमण्डली सदस्यों के आचार, व्यवहार व कार्यशैली आदि का मूल्यांकन एवं दिशानिर्देश करना। निर्देशों के उल्लंघन पर कार्यवाही हेतु अन्तरंग सभा को सूचित करना।

अधिष्ठाता आर्यवीर दल – (मनोनीत)

1. अधिष्ठाता का चयन आर्यवीर दल राजस्थान के प्रधान संचालक की अनुशंसा पर किया जायेगा जिसे अतंरग सभा द्वारा स्वीकृत कर घोषित किया जायेगा।
2. वह प्रान्त के प्रत्येक आर्य समाज में आर्यवीर दल अधिष्ठाता नियुक्त करवाना सुनिश्चित् करेगा जो आर्यवीर दल से होगा, जिसका अनुमोदन आर्यवीर दल की जिला ईकाई अथवा प्रान्तीय ईकाई द्वारा करवाया जायेगा।
3. वह आर्य समाजों में आर्य युवा निर्माण की भूमिका तथा आर्य समाज की स्थानीय ईकाई एवं आर्यवीर दल में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करेगा।
4. आर्य कुमार सभा, आर्य वीर दल का जिला स्तर, ब्लाक स्तर और ग्राम स्तर पर गठन सुनिश्चित करेगा।

आय–व्यय लेखानिरीक्षक (मनोनीत)–

1. प्रान्त के आर्य समाजों के आय–व्यय का निरीक्षण करेगा तथा उसकी आय–व्यय लेखा पंजिका का संधारण एवं लेखन अंकेक्षण करायेगा। (आवश्यकतानुसार अंतरंग सभा एक से अधिक आय–व्यय लेखा निरीक्षकों का मनोनयन/अनुमोदन कर सकेगी)

16. संस्था के कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :– संस्था का कोष निम्न प्रकार संचित होगा –

1. सभा के समस्त आर्थिक प्रबन्ध एवं समस्त अचल संपत्ति पर साधारण सभा का आधिपत्य एवं नियंत्रण होगा।
2. सभा का धन राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा रखा जावेगा यह निर्णय अन्तरंग सभा करेगी।
3. सभा के बैंक खातों से प्रधान, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी की जा सकेगी।
4. जिस अधिकारी द्वारा जो व्यय होगा, उसका उत्तरदाता भी वही होगा।
5. सभा की राशि को साधारण सभा (वार्षिक) द्वारा स्वीकृत अनुमानित व्यय पत्र के अनुसार खर्च करने का उत्तरदायित्व प्रधान, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष पर होगा एवं अन्तरंग सभा इसकी पुष्टि करेगी।
6. प्रधान को एक बार में 50 हजार रुपये, मंत्री को 25 हजार रुपये एवं कोषाध्यक्ष को 10 हजार रुपये व्यय करने का अधिकार होगा।
7. अन्तरंग सभा के समक्ष पिछली तिमाही के आय–व्यय का लेखा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। आय–व्यय लेखा निरीक्षक अपना प्रतिवेदन समय–समय पर अन्तरंग एवं साधारण सभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया करेंगे।

17. संस्था का अंकेक्षण :– संस्था के समस्त लेखा–जोखों का वार्षिक ऑडिट रिर्पोट रजिस्टर्ड सी.ए. द्वारा किया जावेगा।

18. संस्था के विधान में परिवर्तन :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

19. **संस्था का विघटन :–** यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति समान उद्देश्यों वाली संस्था को हस्तान्तरित करने का अधिकार तत्कालीन अंतरंग सभा को होगा परन्तु उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 एवं 14 के अनुरूप होगी।

20. **संस्था के लेखा जोखों का निरीक्षण :–** रजिस्ट्रार संस्थाएँ जयपुर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण / जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

21. **न्याय व्यवस्था :–** प्रतिनिधि सभा के क्षेत्र में न्याय की व्यवस्था के लिये एक न्याय सभा होगी जो आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, न्याय सभा, कहलायेगी इसका अधिकार क्षेत्र निम्नानुसार होगा :–

1. आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान से सम्बद्ध आर्य समाजों एवं आर्य प्रतिनिधि सभा के पारस्परिक विवाद एवं झगड़े।
2. आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान से सम्बद्ध आर्य समाजों के सदस्यों के पारस्परिक ऐसे विवाद एवं झगड़े जिन्हें आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा न्याय सभा को विचारार्थ भेजा जावे।
3. भूमि, भवन एवं सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद।
4. न्याय सभा की रचना उसकी कार्यप्रणाली आदि वही होगी जो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आर्य समाज की न्याय सभाओं के नियमों में निर्धारित की गई है।

22. मिश्रित :–

1. सभा की समस्त कार्यवाही देवनागरी लिपि आर्य भाषा (हिन्दी) में होगी।
2. न्याय सभा का गठन अन्तरंग सभा द्वारा किया जा सकेगा।
3. यह संशोधित विधान (उपनियमादि) इस सभा के नैमित्तिक अधिवेशन में स्वीकृत होने से लागू हो जावेंगे। आगामी निर्वाचन आदि इन्हीं उपनियमों के अधीन होंगे।
4. किसी भी जातिवादी संस्था तथा वैदिक सिद्धान्तों के विपरीत संस्थाओं का पदाधिकारी इस सभा तथा इसके अन्तर्गत संस्थाओं का पदाधिकारी नहीं बन सकेगा।
5. पर्याप्त कारण के बिना यदि कोई अन्तरंग सभासद या पदाधिकारी लगातार तीन अन्तरंग उपवेशनों में अनुपस्थित होगा तो. उसका स्पष्टीकरण लिया जाकर पर्याप्त कारण के बिना उसका पद रिक्त समझा जावेगा। जिसकी पूर्ति अन्तरंग सभा द्वारा की जायेगी।
6. यदि मंत्री एवं प्रधान तीन माह की अवधि के पश्चात् अन्तरंग सभा नहीं बुलाये तो अन्तरंग सभा के दस सदस्यों के हस्ताक्षर से अन्तरंग सभा की बैठक नियमानुसार बुलाना अनिवार्य होगा।
7. किसी आर्य सभासद के ऐसे आचरण पर जो सदाचार विरोधी अथवा आर्य समाज के हित के विरुद्ध हो सम्बन्धित आर्य समाज की कार्यकारिणी उसे कारण बताओ नोटिस देकर संतोषप्रद उत्तर प्राप्त न होने पर उस पर निष्कासन की कार्यवाही कर सकेगी। ऐसे किसी निर्णय के विरुद्ध सभा में अपील की जा सकेगी जिसकी सुनवाई सभा की अन्तरंग सभा / न्याय सभा करेगी।
8. सभा / आर्य समाज / शिक्षण संस्था के वेतन भोगी कर्मचारी, किरायेदार एवं उनके रक्तसंबंधी (परिवारजन) आर्य समाज एवं सभा की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
9. किसी भी आर्य समाज के पूर्व पदाधिकारी नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को सम्पूर्ण रिकार्ड नहीं देते हैं या इसका दुरुपयोग करते हैं तो उस परिस्थिति में आर्य प्रतिनिधि सभा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकेगी एवं सभा नया रिकार्ड तैयार करवाने का अधिकार रखेगी।
10. आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान राज्य में स्थित संस्था के अन्तर्गत आने वाली समस्त आर्य समाजों, शिक्षण संस्थाओं, गुरुकुलों, छात्रावासों, आश्रमों तथा अनाथालयों आदि अन्य आर्य समाज के समान उद्दश्यों वाली संस्थाओं की नियन्त्रक, अधीक्षण एवं नियामक तथा लेखा नियन्त्रक के रूप में कार्य करेगी।

11. संरक्षक मण्डल एवं परामर्शदाता मण्डल का गठन किया जायेगा। जिसमें अनुभवी एवं वरिष्ठ व्यक्तियों को सदस्य बनाया जायेगा। सभा के महत्वपूर्ण निर्णयों / कार्यों में संरक्षक एवं परामर्श मंडल का सहयोग लिया जायेगा।

12. राजस्थान राज्य की कोई भी आर्य समाज अथवा उससे सम्बद्ध शैक्षणिक अथवा अन्य संस्था साधारण सभा की स्वीकृति के बिना अपनी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण या बेचान / विक्रय नहीं कर सकेगी। इस नियम की अवहेलना कर किया गया हस्तान्तरण अथवा बेचान / विक्रय अवैध एवं शून्य होगा।

13. प्रत्येक आर्य समाज को अपने घोषित आर्य सभासदों की उक्त राशि तथा दान एवं दुकानों से प्राप्त किराया आदि की सूची आय–व्यय विवरण आदि प्रतिवर्ष सभा कार्यालय में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक मास में भेजना होगा।

14. इस सभा से सम्बद्ध किसी आर्य समाज को समस्त शिक्षण संस्थाओं, गुरुकुल आदि तथा अन्य किसी भी संस्था को सम्बद्ध परित्याग करने अथवा अपने आपको स्वतन्त्र रूप से रजिस्टर्ड कराने का अधिकार नहीं होगा तथा आर्य समाज या उससे मिलते जुलते नाम रखकर कोई आर्य समाज मन्दिर या संस्था आदि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेगी। किन्तु सभा से सम्बद्ध आर्य समाज, शिक्षण संस्थायें, गुरुकुल आदि संस्थाएँ सभा की शाखा स्वरुप होने के कारण स्वतः रजिस्टर्ड समझी जायेंगी। सभा का / द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रेशन नं. ही उनका रजिस्ट्रेशन नं. माना जायेगा।

15. राजस्थान राज्य की सीमा में प्रत्येक आर्य समाज इस सभा के अंतर्गत होगा। आर्य समाज नाम से या इससे मिलते जुलते नामों से कोई भी संगठन या इसके द्वारा संचालित संस्था सभा के अधिकार क्षेत्र अथवा नियंत्रण से बाहर नहीं हो सकेगी प्रत्येक आर्य समाज पर इन नियमों एवं उपनियमों का शासन रहेगा अर्थात् प्रत्येक संस्था सभा के नियन्त्रण एवं अधिक्षण में होगी।

16. प्रत्येक आर्य समाज या इससे सम्बन्धित संस्था पर मूल स्वामित्व सभा का होगा। उसका पंजीयन भी सभा द्वारा किया जायेगा। रजिस्ट्रार संस्थाएँ एवं देवस्थान विभाग, ट्रस्ट (न्यास) सोसायटी आदि में सभा की सहमति के बिना किया गया पंजीयन निष्प्रभावी एवं शून्य होगा।

17. सभा का प्रत्येक पदाधिकारी अंतरंग सभा के प्रति उत्तरदायी होगा।

18. प्रधान, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के पद पर लगातार दो बार निर्वाचित व्यक्ति सर्वसम्मति के बिना उसी पद पर उसी क्रम में दो बार से अधिक बार के लिये निर्वाचन में चुनाव नहीं लड सकेगा।

19. यदि कोई व्यक्ति आर्य सिद्धान्तों की पालना करते हुऐ किसी आर्य समाज का सहायक सदस्य बनाना चाहता है और वह आर्य समाज उसे बिना किसी उचित कारण के सदस्य नहीं बनाता है तो यह सभा इस सम्बन्ध में जाँचकर उचित कार्यवाही कर सकेगी तथा ऐसे व्यक्तियों को उस आर्य समाज में सदस्य बनाने के निर्देश जारी कर सकेगी ।

20. आर्य समाजों में सम्पादित होने वाले विवाहों में न्यायालय, प्रशासन एवं आर्य समाज के नियमों की पालना सुनिश्चित् करने, अनियमितता एवं अव्यवस्था को नियन्त्रित करने हेतु तीन सदस्यीय विवाह व्यवस्था समिति का गठन सभा कर सकेगी।

21. रजिस्ट्रार संस्था राजस्थान जयपुर को इस संस्था के निरीक्षण का अधिकार होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) आर्य प्रतितिधि सभा राजस्थान जयपुर समिति / सोसाइटी / संस्था की सही व सत्य प्रति है।

कोरोना काल में जन सेवा करते आर्यजन

भरतपुर में खाद्य सामग्री वितरण करते आर्यजन

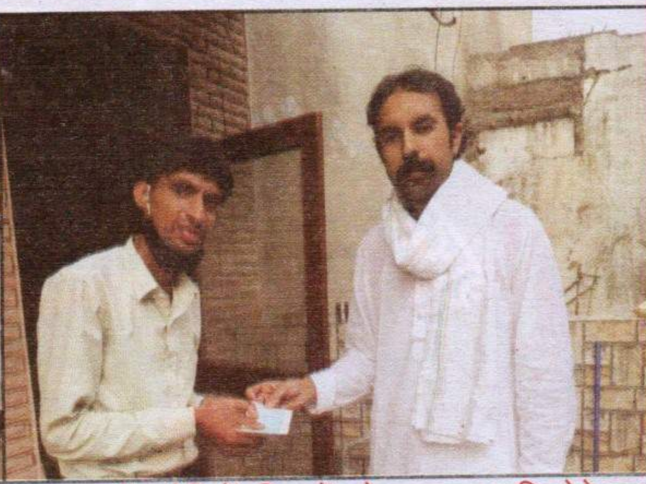
जयपुर में पुरोहितों–विद्वानों को सहायता राशि देते हुए

आर्यवीर दल अजमेर द्वारा जेल प्रशासन को वाद्ययन्त्र भेंट

आर्य समाज रावतभाटा में रक्तदान शिविर आयोजित

आर्य समाज अलवर द्वारा खाद्य सामग्री वितरण

आर्य समाज कोटा द्वारा खाद्य सामग्री वितरण

डाक पंजियन सं. RJ / JPC / 214 / 2020-22 आर. एन. आई नं.10471/60

प्रेषकः-
सम्पादक,
आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान
हनुमान ढाबे के पास, राजा पार्क,
जयपुर-302004

प्रेषित

टिकट